पत्रांकः-भवन/04/दै0-03/2018............................/ 196 (अ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार साहु,
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E-Mail
स्मार

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः- 9/1/2020

विषयः- दिनांक-11.12.1990 के पूर्व से कार्यरत वैसे दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों जिन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-639, दिनांक-16.03.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्यमुक्त कर दिया गया है, के कुल संख्या से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-11(भ) अनु0, दिनांक-03.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक-1874, दिनांक-10.12.2019 द्वारा दिनांक-13.11.2019 को 5:00 बजे अपराह्न में विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति भेजी गई है तथा बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रतिवेदन की मांग की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बैठक में लिए गए निर्णयानुसार **''वैसे कर्मीगण जो 11.12.1990 के पूर्व दैनिक श्रमपुस्त पर रखे गए है एवं संकल्प संख्या-639, दिनांक-16.03.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में बाद में कार्यमुक्त हो गए है, की कुल संख्या''** से संबंधित प्रतिवेदन 03(तीन) दिनों के अंदर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, ताकि ससमय विभाग का समेकित प्रतिवेदन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जा सके। परंतु वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

अतः स्मारित करते हुए अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन 03(तीन) दिनों के अंदर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार साहु)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\hpo\Desktop\Alka Sinha 2020\Bishnu Sir\Non G Letter.docx